भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 96

दिनांक 24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

केरल में एम्स की स्थापना

†*96. श्री वी.के. श्रीकंदन:

श्री कोडिकुन्नील सुरेश:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा केरल राज्य में अक्सर सूचित किए जाने वाले दुर्लभ विषाणुजन्य रोगों के प्रसार के दृष्टिगत राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और यदि हां, तो नए एम्स की स्वीकृति के लिए अपनाए गए मानदंडों, इस संबंध में वर्तमान स्थिति तथा विलंब के कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या सरकार केरल में एक नए एम्स की स्वीकृति देने के बजाय वहां केवल सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को एम्स की स्थापना के लिए राज्य से प्रस्तावित स्थलों के बारे में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो स्थल के चयन के लिए अपनाए गए मानदंडों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई व्यवहार्यता अध्ययन, तकनीकी मूल्यांकन या अंतर-मंत्रालयी परामर्श किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार उक्त राज्य में बिना किसी और विलम्ब के एम्स की शीघ्र स्थापना करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 24 जुलाई 2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 96 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) केरल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में किफायती और विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता से संबंधित क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं को बढ़ाना है। व्यापक मानदंडों में प्रतिकूल स्वास्थ्य संकेतकों के कारण विशिष्ट स्वास्थ्य केंद्रों की अपर्याप्तता, विशिष्ट देखभाल संबंधी क्षेत्रीय असंतुलन, मेडिकल कॉलेज रेफरल संस्थानों की कमी, विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश करने की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सीमित क्षमता और चिकित्सा शिक्षा और विशिष्ट देखभाल में निजी क्षेत्र की भागीदारी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के केंद्रीय क्षेत्र घटक के अंतर्गत राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) ने केरल के कोझिकोड में एनसीडीसी की एक राज्य शाखा हेतु अनुमोदन दिया गया है जिससे राज्य में रोग निगरानी, रोग नियंत्रण जांच, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला सहायता और महामारी से मुकाबले की तैयारी को सुदृढ़ किया जा सके। इससे मौजूदा स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को मजबूती मिलेगी और वायरल रोगों के प्रकोप का पता लगाने और उससे निपटने की केरल राज्य की क्षमता में वृद्धि होगी।

(ख) केरल में विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को सुदृढ़ और उन्नत बनाने के लिए, पीएमएसएसवाई के अंतर्गत, केंद्र-राज्य लागत साझाकरण के आधार पर तीन सरकारी मेडिकल कॉलेजों के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक (एसएसबी) के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिन्हें पूरा किया जा चुका है। ये (i) त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज, त्रिवेंद्रम; (iii) टीडी मेडिकल कॉलेज, अलाप्पुझा; और (iii) कोझिकोड मेडिकल कॉलेज, कोझिकोड हैं। इनके अतिरिक्त, श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी (एससीटीआईएमएसटी), त्रिवेंद्रम को भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और चिकित्सा एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के बीच लागत साझाकरण के आधार पर सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के निर्माण के माध्यम से उन्नत करने के लिए मंजूरी दी गई है।

(ग) से (ङ) वर्ष 2014 और 2016 में, केरल सरकार ने राज्य में एम्स की स्थापना के लिए निम्नलिखित स्थानों पर चार स्थलों की पहचान की और प्रस्ताव रखा: (i) कोझिकोड जिले में किनालूर, (ii) तिरुवनंतपुरम जिले में कट्टाकड़ा तालुक, (iii) कोट्टयम जिला और (iv) एरणाकुलम जिला। वर्ष 2025 में, केरल राज्य सरकार ने एम्स की स्थापना के लिए कोझिकोड जिले के किनालूर में भूमि की पहचान के बारे में सूचित किया है। तथापि, केरल में एम्स की स्थापना के प्रस्ताव को इस योजना के तहत अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है।